प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
बाराबंकी।

सेवा में,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः–एस0पी0एम0यू0 / वाहन सूचना / 2019–20 16462 दिनांक 18.07.2019 19

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2019–20 में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अन्तर्गत अनुबंधित वाहनों की स्थिति की सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने पत्रांकः–एस0पी0एम0यू / एन0एच0एम0 / एम0 एण्ड ई0 / 2019–20 / 30 / 3153–2 दिनांक 08.07.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के अन्तर्गत सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु जनपद स्तर पर दो वाहन एवं प्रत्येक ब्लाक स्तर पर एक वाहन अनुबन्धित करने एवं अनुबन्धित वाहन से सम्बन्धित सूचना एवं अनुबन्ध पत्र राज्य स्तर के निर्धारित प्रपत्र पर प्रेषित करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु किराये पर लिये जाने वाले वाहनों की ई–निविदा प्रक्रियाधीन होने के कारण पूर्व निविदा में अनुमोदित फर्म मेसर्स आदि शक्ति महिला एवं बाल विकास समिति कुटी मोहल्ला बछरावां, रायबरेली से पूर्व सेवा शर्तो के अनुसार कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोपरांत जनपद स्तर पर दो वाहन एवं ब्लाक स्तर पर एक–एक वाहन संचालित कराये जा रहे हैं।

अतएव अनुबन्ध पत्र / वाहनों की सूचना निर्धारित प्रारूप पर इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–अपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डा0 रमेश चन्द्र)
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
बाराबंकी।

पत्रांकः–एस0पी0एम0यू0 / वाहन सूचना / 2019–20 तददिनांक–

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
5. जिला कार्यक्रम प्रबंधक डी0पी0एम0यू0 बाराबंकी।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
बाराबंकी।

प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
बाराबंकी।

सेवा में,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः–एस0पी0एम0यू0 / वाहन सूचना / 2019–20

दिनांक 18.07.2019

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2019–20 में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अन्तर्गत अनुबंधित वाहनों की स्थिति की सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने पत्रांकः–एस0पी0एम0यू / एन0एच0एम0 / एम0 एण्ड ई0 / 2019–20 / 30 / 3153–2 दिनांक 08.07.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के अन्तर्गत सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु जनपद स्तर पर दो वाहन एवं प्रत्येक ब्लाक स्तर पर एक वाहन अनुबन्धित करने एवं अनुबन्धित वाहन से सम्बन्धित सूचना एवं अनुबन्ध पत्र राज्य स्तर के निर्धारित प्रपत्र पर प्रेषित करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु किराये पर लिये जाने वाले वाहनों की ई–निविदा प्रक्रियाधीन होने के कारण पूर्व निविदा में अनुमोदित फर्म मेसर्स आदि शक्ति महिला एवं बाल विकास समिति कुटी मोहल्ला बछरावां, रायबरेली से पूर्व सेवा शर्तो के अनुसार कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोपरांत जनपद स्तर पर दो वाहन एवं ब्लाक स्तर पर एक–एक वाहन संचालित कराये जा रहे हैं।

अतएव अनुबन्ध पत्र / वाहनों की सूचना निर्धारित प्रारूप पर इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–अपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डा0 रमेश चन्द्र)
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
बाराबंकी।

पत्रांकः–एस0पी0एम0यू0 / वाहन सूचना / 2019–20 /6463-66 तददिनांक–

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
5. जिला कार्यक्रम प्रबंधक डी0पी0एम0यू0 बाराबंकी।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
बाराबंकी।

STATUS OF VEHICLE UNDER SUPPORTIVE SUPERVISION FOR 2019-20

S.No	Name of Block	Type of Vehicle	Reg. No of Vehicle	Taxi permit No. of Vehicle	Tender Rate approved
1	Tikait Nagar	MARUTI SUZUKI	UP41AT6685	CC/STA/UP/2018/05417	29944.00
2	Trivediganj	BOLERO	UP41AT2442	UP/42/102/AITP/2015/127	29944.00
3	Ram Nagar	BOLERO	UP41AT4534	UP/42/102/AITP/2017/185	29944.00
4	Dewa	CHEVROLET BEAT	UP32HN3661	UP/32/AITP/2017/1143	29944.00
5	Dariyabad	BOLERO	UP41AT2779	UP/42/102/AITP/2016/133	29944.00
6	Ram Sanehi Ghat	BOLERO	UP41AT0856	CC/STA/UP/2017/011581	29944.00
7	Haidergarh	BOLERO	UP41AT2395	UP/42/102/AITP/2015-126	29944.00
8	Fatehpur	BOLERO	UP41AC0070	CC/STA/UP/2017/01657	29944.00
9	Ghungteir	BOLERO	UP41AC0908	CC/STA/UP/2017/01662	29944.00
10	Harakh	Maruti Omni Van	UP41AT1826	UP/42/102/AITP/2015/99	29944.00
11	Siddhour	BOLERO	UP41AT2638	UP/42/102/AITP/2015/132	29944.00
12	Suratganj	BOLERO	UP41W1195	CC/STA/UP/2016/05097	29944.00
13	Badagaon	SWIFT DIZIRE	UP32FN5657	UP/32/102/AITP/2016/3650	29944.00
14	Sirauli Gauspur	BOLERO	UP41T9583	UP/42/102/AITP/2015/117	29944.00
15	Jata Barauli	MARUTI SUZUKI	UP32KN1522	UP/32/AUTH/AITP/2018/1722	29944.00
16	CMO OFFICE	INDIGO	UP32GN9998	UP/32/AITP/2017/347	29944.00
17	CMO OFFICE	BOLERO	UP32EN4471	CC/STA/UP/2016/00524	29944.00

Dwivedi 18/7/19
Ambrish Dwivedi
DPM, DPMU

18/07/19
Dr. Mahendra Singh
ACMO RCH

Dr. Ramesh Chandra
CMO Barabanki

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AH 858519

<u>अनुबन्ध पत्र</u>

प्रथम पक्ष- सचिव, जिला स्वास्थ्य सोसाइटी, जनपद-बाराबंकी।

द्वितीय पक्ष- अध्यक्ष, मेसर्स आदि शक्ति महिला एवं बाल विकास समिति, कुटी मोहल्ला, बछरावां, रायबरेली।

यह अनुबन्ध सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बाराबंकी द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत सर्पोटिव सुपरविजन में जनपद/ब्लाक स्तर पर वाहन के संचालन के सम्बन्ध में अध्यक्ष, निविदा समिति/मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी द्वारा दिनांक 05.08.2016 को दिये गये अनुमोदन के क्रम में दिनांक 11.08.2016 को जनपद बाराबंकी में सम्पादित किया गया। इस अनुबन्ध की अवधि दिनांक 11.08.2016 से दिनांक 31.03.2017 अथवा अगली निविदा होने/कार्यक्रम समाप्त होने तक होगी। ई-निविदा सम्पन्न न होने के कारण कार्यक्रम हित को दृष्टिगत रखते हुए जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक दिनांक 28.04.2018 में लिये गये निर्णय के क्रम में पूर्व अनुमोदित फर्म से उसी निर्धारित सेवा शर्तों पर नियमानुसार वाहन लिये जाने हेतु दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक या अगली निविदा होने/कार्यक्रम समाप्त होने तक अनुबन्ध विस्तार निम्न शर्ते एवं प्रतिबन्ध के अनुसार किया जाता है:-

1. यह अनुबन्ध प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के पत्र सं0 एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/एम0 एण्ड ई0/2014-15/04/6313-75-4 दिनांक 31.03.2015, एस0पी0एम0यू0/ एन0एच0एम0/एम0 एण्ड ई0/2015-16/04/7070-75 दिनांक 01.10.2015 एवं एस0पी0एम0यू0/ एन0एच0एम0/एम0 एण्ड ई0/2015-16/ 04/7278-75 दिनांक 12.10.15 के क्रम में दिनांक 11.08.2016 को अध्यक्ष, निविदा समिति द्वारा रू0 29944.00 अनुमोदित दर पर किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत इन्हें रू0 29944.00 (रू0 उन्तीस हजार नौ सौ चौवालिस मात्र) प्रतिमाह ड्राइवर, डीजल अनुरक्षण व टोल टैक्स आदि समस्त करों सहित प्रतिवाहन की दर से भुगतान किया जायेगा।

2. इस कार्य हेतु द्वितीय पक्ष को **इण्डिगो कार/बोलेरो/टाटा सूमो/टवेरा बन्द वाहन** उपरोक्त शर्तों के अनुसार उपलब्ध कराने होंगें तथा अनुबन्धित समस्त वाहनों की नियमित रूप से लॉगबुक भरी जायेगी, फर्म के द्वारा स्वास्थ्य इकाई से चलते समय वाहन का किलोमीटर हर बार नोट किया जाये और प्रतिमाह लॉगबुक की सत्यापित प्रतिलिपि सम्बन्धित ब्लाक के अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेगा।

क्रमशः.....2

भारतीय गैर न्यायिक
भारत
पचास रुपये
रु.50
FIFTY RUPEES
Rs.50
सत्यमेव जयते
INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
AH 858518

3. फर्म के पास वाहन के टैक्सी परमिट, विस्तृत बीमा (Comprehensive Insurance) तथा सभी आवश्यक अभिलेख जैसे फिटनेस, पंजीयन (आर0सी0) आदि उपलब्ध हो। समस्त वाहनों के आर0सी0 की सूची द्वितीय पक्ष द्वारा प्रस्तुत की जायेगी।

4. अनुबन्धित वाहन से प्रति माह जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा माह में कुल न्यूनतम 10 विजिट तथा ब्लाक स्तर पर अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा न्यूनतम 12 विजिट किया जायेगा। किसी भी आकस्मिकता के दृष्टिगत अवकाश के दिन भी फर्म को वाहन उपलब्ध कराना होगा। एजेन्सी द्वारा वाहनों हेतु जो वाहन चालक उपलब्ध कराये जायेगें उनका कामर्शियल लाइसेन्स परिवहन विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य है, जो कार्यदिश एवं अनुबन्ध के साथ वाहन उपलब्ध कराते समय सम्बन्धित अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

5. वाहन में फर्स्ट एड किट (प्राथमिक उपचार) अवश्य रखी जायेगी।

6. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत सर्पोटिव सुपरविजन हेतु उपलब्ध कराये गये वाहन संख्या/प्रकार तथा वाहन चालक का नाम एवं मोबाइल नम्बर विकास खण्ड स्तरीय सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा जिला स्तरीय कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।

7. सम्बन्धित फर्म द्वारा वाहन प्रतिदिन जनपद/ब्लाक स्तर पर उपलब्ध कराये जायेगें। जनपद स्तर पर जिला कार्यक्रम प्रबन्धक का दायित्व होगा कि सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु लिये गये वाहनों का दूर प्लान समस्त जनपदीय अधिकारियों को ध्यान में रखते हुए तैयार कर मुख्य चिकित्सा अधिकारी से हस्ताक्षर कराकर मासिक टूर प्लान अनुसार प्रत्येक अधिकारी को सहयोगात्मक भ्रमण हेतु निर्धारित तिथि को वाहन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। जनपद स्तरीय दोनों वाहन प्रातःकाल डी0पी0एम0 को रिपोर्ट करेंगे। डी0पी0एम0 का दायित्व होगा कि प्रतिदिन दोनों वाहनों को सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु क्षेत्र में प्रस्थान करायेगें तथा ब्लाक स्तरीय सभी भ्रमण हेतु मासिक कैलेण्डर ब्लाक स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी एवं ब्लाक प्रोग्राम मैनेजर द्वारा अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के साथ परामर्श कर तैयार किया जायेगा तथा ये दोनों अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि ब्लाक के अन्तर्गत सभी स्वास्थ्य इकाईयां वर्ष भर में कवर हो जाये।

क्रमशः....3

Verma
प्रबन्धक/सचिव
आदि शक्ति महिला एवं बाल विकास समिति

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
बाराबंकी

8. द्वितीय पक्ष द्वारा धरोहर राशि के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति, बाराबंकी के नाम पूर्व से बंधक धनराशि रू0 407238.00 (रू0 चार लाख सात हजार दो सौ अड़तीस मात्र) को 30 दिन का नोटिस देकर प्रथम पक्ष द्वारा कार्य/अनुबन्ध समाप्त किये जाने के पश्चात् द्वितीय पक्ष को वापस करनी होगी।
9. अपरिहार्य स्थितियों में आवश्यक होने पर अग्रिम निविदा सम्पन्न होने तक तक फर्म की संतोषजनक सेवाओं के आधार पर पूर्व शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुसार अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति की अनुमति से कार्य लिया जा सकता है।
10. कोई भी वाहन क्षतिग्रस्त/खराब होने की स्थिति में सम्बन्धित फर्म द्वारा दूसरा वाहन तत्काल प्रदान किया जायेगा। वाहन न उपलब्ध होने पर यदि कार्यक्रम हित में दूसरा वाहन विभाग द्वारा किराये पर लिये जाने की स्थिति में उसका व्यय सम्बन्धित फर्म के भुगतान से समायोजित कर लिया जायेगा।
11. किसी प्रकार की दुर्घटना/जोखिम की स्थिति में ड्राइवर/वाहन आदि का भुगतान फर्म द्वारा वहन किया जायेगा।
12. फर्म प्रत्येक माह बीजक दो प्रतियों में भुगतान हेतु (जिस पर सम्बन्धित वाहन संख्या अंकित हो) प्रस्तुत किया जायेगा, फर्म को भुगतान की जाने वाली धनराशि से नियमानुसार टी0डी0एस0 एवं अन्य लागू टैक्स की कटौती के उपरान्त भुगतान किया जायेगा।
13. संतोषजनक सेवायें न प्राप्त होने की स्थिति में सम्बन्धित फर्म का अनुबन्ध अध्यक्ष, निविदा समिति के अनुमोदन से निर्धारित तिथि से पूर्व समाप्त किया जा सकता है।
14. फर्म द्वारा कार्य करने से मना करने या निर्देशों की अवहेलना करने की स्थिति में फर्म को ब्लैक लिस्टेट किया जा सकता है एवं उसके द्वारा जमा की गई धरोहर राशि जब्त की जा सकती है।
15. निविदा शर्तों के अनुसार फर्म द्वारा जो भी वाहन उपलब्ध कराये जायेगे, वह मार्च, 2013 के बाद के क्रय होने चाहिए।
16. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र जनपद बाराबंकी होगा।

द्वितीय पक्ष	प्रथम पक्ष
Verma	
प्रबन्धक/सचिव आदि शक्ति महिला एवं बाल विकास समिति कुटी मोहल्ला, बछरावाँ, रायबरेली-229301	मुख्य चिकित्सा अधिकारी/
मेसर्स आदि शक्ति महिला एवं बाल विकास समिति,	सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति
कुटी मोहल्ला बछरावां, रायबरेली	जनपद- बाराबंकी।
	मुख्य चिकित्सा अधिकारी बाराबंकी